



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय / BHOPAL REGION
E-Mail : acbhopal@yahoo.com

Phone : 2550728 (DC)
2551678 (AC/FO)
2551699 (AC/AO)
Fax : 0755-2553126
मैदा मिल के सामने,
भोपाल (म0प्र0)
Opp. Maida Mills,
Bhopal - 462 011.

फा. 14050/2016/केविसं/भोपाल/

दिनांक : 03/02/2017

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा.11029-16/केविसं/मुख्यालय/प्रशासन-1/168 दिनांक 09/02/2011 के माध्यम से परिचालित किए गए भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्थापना(डी) दिनांक 19/05/2009 के अंतर्गत एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में गठित विभागीय छानबीन/पदोन्नति समिति (Departmental Screening/ Promotion Committee) की बैठक दिनांक 02/02/2017 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में की गई अनुशंसा एवं अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित अशैक्षणिक कर्मचारियों को जिनके विवरण नीचे दिये गये हैं, उनके संबंधित वर्ग में उन्हें उनके नाम के सामने दर्शाये गये कॉलम संख्या 06 में अंकित की गई दिनांक से संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (MACP) के तहत कॉलम संख्या 08 में दर्शाये गये पे बैण्ड, वेतनमान एवं ग्रेड वेतन में वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Employee	Name of KV	Date from which the present post on regular basis is held	Date of initial appointment on regular basis and designation	Date of eligibility for MACP	No. of MACP Ist /IInd / IIIrd	Pay Band with Pay Scale & Grade Pay
1	2	3	4	5	6	7	8
ASSUSTANT(Review Case)							
1	SH AMAR KUMAR BUDHWANI	MHOW	09/09/2010 ASTT.	13/09/1983 UDC	19.05.2016 (Consequential effect of 2nd MACP)	III rd	PB-II, 9300-34800 + GP 4600
SUB STAFF							
1	Sh NAND LAL CHOUHAN	NARMADA NAGAR	01.07.2009 LAB.ATD.	13.03.1997 GR.D	13.03.2017	II nd	5200-20200 + GP 2000
2	SH RAVI SHANKAR SHAMI	BARWAHA	20.03.2004 LAB.ATD.	02.09.1985 GR.D	02.09.2015	III rd	5200-20200 + GP 2400
3	SH MANISH JOSHI	RAJGARH	07.12.1996 GR.D	07.12.1996 SUB STAFF	07.12.2016	II nd	5200-20200 + GP 2000
4	SH ASHOK SHINDE	CRPF BANGARASIA	28.06.2004 LAB.ATD.	25.01.1985 GR.D	26.03.2015 (w.e.f. date of completion of penalty)	III rd	5200-20200 + GP 2400
Total=5(Five) case							


संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (एमएसीपी) का उद्देश्य केवल ग्रेड-पे में पद स्थापना करना/वित्तीय लाभ प्रदान करना है तथा वास्तविक प्रयोजन प्रोन्नति के समान नहीं है और ना ही इस लाभ से उच्च पद पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त होगा सिवाय जैसा कि इस योजना के तहत है। संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन पर संबंधित कर्मचारी का वेतन मूल नियमों एवं एमएसीपी योजना के तहत निर्धारित किया जाएगा।

रुपायुक्ता, के.वि.सं., भोपाल संभाग

जारी.....2

विभागीय छानबीन/पदोन्नति समिति द्वारा बैठक में निम्नलिखित अशैक्षणिक कर्मचारियों के प्रकरणों पर भी विचार किया परन्तु उनके नाम के सामने दर्शाए गये कारणों से उनको वर्तमान में संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (MACP) के तहत वित्तीय प्रोन्नति स्वीकृत करने की अनुशंसा नहीं की गई है :-

क्रं.	नाम	पदनाम	पदस्थापना स्थल	कारण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SH GOVIND SINGH	Ex-UDC	KV SHIVPURI	APARs/ACRs of the period to which(w.e.f. 1995 to 2010) grant of ACP under consideration are not available.
2.	SH AJAY GOPAL	LDC	KV BAIRAGARH	Disciplinary proceeding is pending against him.
3.	SH S.P. PANDEY	SUB STAFF (LAB.ATDT)	KV KHANDWA	Proposal has already forwarded to KVS(Hqrs) New Delhi vide letter dated 28/11/2016 & 27/12/2016 for necessary approval, decision awaited.

()
इंस्पेक्टर
उपायुक्त

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कर्मचारी। कृपया इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर अपना वेतन निर्धारण विकल्प पत्र प्रस्तुत करें। एक बार प्रस्तुत किया गया वेतन निर्धारण विकल्प पत्र अंतिम होगा।
2. प्राचार्य, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृपया इस आदेश की पर्याप्त मात्रा में छायाप्रति करके अपने विद्यालय के संबंधित कर्मचारी को उचित पावती के साथ सौंप दें। संबंधित की व्यक्तिगत पुस्तिका में इस आदेश की एक प्रति नस्ती करते हुए एक प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा कर आवश्यक प्रविष्टि कर दें। संबंधित कर्मचारी के वेतन का निर्धारण वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा किया जायेगा। अतः वेतन निर्धारण के लिये संबंधित की सेवा पुस्तिका इस कार्यालय को भेजते समय संबंधित से वेतन निर्धारण विकल्प पत्र लेकर मूल प्रति में सेवा पुस्तिका में आदेश की छायाप्रति के साथ चस्पा कर प्रेषित करें। इस कार्यालय द्वारा विद्यालय से प्राप्त जानकारी/सूचना के आधार पर ही संबंधित कर्मचारियों को संशोधित आश्वस्त वृत्ति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन स्वीकृत किया है। अतः उपर्युक्त आदेश से आपके द्वारा भेजी गई जानकारी/सूचना का मिलान कर लें एवं यदि उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। संबंधित कर्मचारी से इस आशय का एक घोषणा पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना के तहत वित्तीय प्रोन्नति स्वीकृत करने में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापस ले लिया जायेगा। यदि संबंधित कर्मचारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया हो तो इस आदेश को या इसकी प्रमाणित प्रति उस केन्द्रीय विद्यालय में जहाँ पर वह कार्यरत है को तुरन्त प्रेषित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
4. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
5. प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल - को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।
7. अध्यक्ष/सचिव, के0वि0सं0 शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ एसोसिएशन।

उपायुक्त
के0वि0सं0, क्षे0का0, भोपाल